तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 3588 / 2003 / नागौर** **रामकुमार बनाम बजरंगलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थितिः–

(1) श्री एस.पी. सिंह, अभिभाषक प्रार्थीगण।
(2) श्री जी.एस. लखावत, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांकः 08.04.2025

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विद्वान सहायक कलक्टर, डीडवाना के वाद संख्या 203/1992 में पारित आदेश दिनांक 18–07–2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना द्वारा अपने आक्षेपित आदेश से प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी खारिज किया गया है।

2– विद्वान अधिवक्तागण की बहस प्रार्थना पत्र धारा 151 दिनांक 17–01–2025 व मूल निगरानी पर सुनी गयी।

3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिये हैं कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय, न्याय व विधि के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विवादग्रस्त आदेश दिनांक 18–07–2003 विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को अपना जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया तो वो अपने खातेदारी अधिकारों से महरूम हो जायेगे तथा इससे पक्षकारों के मध्य लिटिगेशन (विवाद) उत्पन्न होगा, जबकि जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने से तो पक्षकारों के मध्य उत्पन्न हुये वास्तविक विवाद का सम्पूर्ण तरीके से अन्तिम निस्तारण हो सकेगा।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 3588 / 2003 / नागौर** **रामकुमार बनाम बजरंगलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 दिनांक 10–07–2003 को इसी मुख्य कानूनी बिन्दु के आधार पर निरस्त किया है कि प्रतिवादीगण अपना जवाबदावा प्रस्तुत करने में रूचि नहीं ले रहे हैं। अदालत हाजा को धारा 151 जा0दी0 के अन्तर्गत बंद जवाबदावा को खोलने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार परीक्षण न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को समझे बिना गैर कानूनी निगरानीग्रस्त निर्णय दिनांक 18–07–2003 को पारित किया है जो कि निरस्तनीय है। इसके साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर उसमें अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए अप्रार्थी सं0 5 लिछ्मणदास व अप्रार्थी सं0 16 रतनी देवी मृतकों का नाम हजफ (डिलीट) करने का निवेदन किया गया है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर, डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–07–2003 को निरस्त करते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 को स्वीकार कर जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जावे। 4– प्रत्युत्तर में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किये है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादी को कई अवसर प्रदान किये गये किन्तु इसके उपरान्त भी प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादी का प्रार्थना पर सही खारिज किया है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी खारिज की जावे। 5– विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन एवं परिशीलन किया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 3588 / 2003 / नागौर** **रामकुमार बनाम बजरंगलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी बजरंग लाल द्वारा विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद में अंकित वादग्रस्त आराजी का प्रस्तुत किया। जिसमें दिनांक 10–06–2003 को प्रार्थीगण/प्रतिवादी का जवाबदावा बंद कर दिया। जिसके सन्दर्भ में प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं0 6 व 7 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया। विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 18–07–2003 से प्रार्थीगण/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थीगण/प्रतिवादी के जवाब बन्द करने तथा जवाब पत्रावली पर नहीं लिये जाने के जो आदेश पारित किये गये हैं, के तर्क उचित प्रतीत नहीं होते हैं। अतः सभी पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने हेतु प्रार्थीगण/प्रतिवादी को कोस्ट के आधार पर जवाबदावा रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। 7– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण की निगरानी कोस्ट राशि रू0 1000/– के आधार पर **स्वीकार** की जाकर विद्वान सहायक कलक्टर, डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–07–2003 को निरस्त कर प्रार्थीगण/प्रतिवादी को दावे, अस्थाई निषेधाज्ञा में जवाबदावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण/प्रतिवादी 1 माह में आवश्यक रूप से विद्वान परीक्षण न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत करें साथ ही प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 भी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर निगरानी में अप्रार्थी सं0 5 लिछमणदास व अप्रार्थी सं0 16 रतनी देवी मृतकों का नाम हजफ (डिलीट) किया जाता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 3588 / 2003 / नागौर** **रामकुमार बनाम बजरंगलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	8– पक्षकारान विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना में **दिनांक 01–05–2025** को उपस्थित हो। 9– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गौरव बजाड़)** **सदस्य**	